न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 245/2019

प्रार्थीः— हरीसिंह पुरोहित पुत्र श्री गंगा नारायण पुरोहित, जाति पुरोहित निवासी ओसियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर हाल निवास प्रतापनगर मकान नम्बर 10 युआईटी कॉलोनी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः— श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित —

प्रार्थी — अधिवक्ता श्री नेनुराम विश्नोई।

अप्रार्थी — सरकारी पैरोकार।

—::निर्णय::—

दिनांकः—25/02/2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 52/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 53 रकबा 68 बीघा 07 बिस्वा मौजा ग्राम हरीपुरा, खसरा नम्बर 2073 रकबा 113 बीघा 18 बिस्वा ग्राम बासनी व खसरा नम्बर 1964 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 1966 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा ग्राम सिमरथनगर, तहसील ओसियां की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी तथा प्रार्थी के पिता फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के भाई के साथ प्रार्थी का नाम हरीराम दर्ज कर दिया गया। लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम हरीसिंह पुरोहित है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, बैंक खाता इत्यादि में हरीसिंह पुरोहित पुत्र श्री गंगानारायण पुरोहित दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण हुई, जो सद्‌भाविक त्रुटि हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पडे हैं। इसलिए प्रार्थी ने मजबुरन यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया हैं जो माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का हैं। प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में शुद्ध दर्ज किये जाने पर किसी अन्य खातेदारान को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 52/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा,

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 53 रकबा 68 बीघा 07 बिस्वा मौजा ग्राम हरीपुरा, खसरा नम्बर 2073 रकबा 113 बीघा 18 बिस्वा ग्राम बासनी व खसरा नम्बर 1964 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 1966 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा ग्राम सिमरथनगर, तहसील ओसियां में प्रार्थी का नाम हरीराम पुत्र श्री गंगा नारायण दर्ज कर रखा है जो गलत है उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम हरीसिंह पुरोहित पुत्र श्री गंगा नारायण पुरोहित दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

यह है कि बहस पक्षकारान सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम हरीसिंह पुरोहित पुत्र श्री गंगानारायण पुरोहित है तथा जवाब प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में हरिराम के स्थान पर हरीसिंह पुरोहित दर्ज करने की अनुशंषा की गई है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 52/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 53 रकबा 68 बीघा 07 बिस्वा मौजा ग्राम हरीपुरा, खसरा नम्बर 2073 रकबा 113 बीघा 18 बिस्वा ग्राम बासनी व खसरा नम्बर 1964 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 1966 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा ग्राम सिमरथनगर, तहसील ओसियां राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हरीराम के स्थान पर हरीसिंह पुरोहित पुत्र गंगा नारायण पुरोहित दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 25/02/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner